प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 07.03.24

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा लोहा मन्डी गाजियाबाद से लोहा चोरी करने वाले 04 अभियुक्त को 13 कुंटल लोहा व घटना में प्रयुक्त 03 ई रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया

दिनांक 06.3.2024 की रात्रि में थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान भाटिया मोड पुल पर विपरीत दिशा में लालकुआं की ओर से आ रहे ई रिक्शा चालको को संदिग्ध प्रतीत होने पर चैक किया गया जिनके कब्जे से 13 कुंटल चोरी किया हुआ लोहा व घटना में प्रयुक्त 03 ई रिक्शा सहित अभियुक्तगण 1.आरिफ उर्फ गब्बर पुत्र साबिर निवासी हाल पता बाबर का मकान जस्सीपुरा मार्केट थाना कोतवाली जिला गाजियाबाद स्थाई निवासी ग्राम बझैडा थाना धौलाना जिला हापुड़ 2.आसिफ पुत्र सरफराज निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी जिला गाजियाबाद 3.फरमान पुत्र बिल्लू निवासी जस्सीपुरा थाना कोतवाली गाजियाबाद 4. रिजवान पुत्र बिल्लू निवासी जस्सीपुरा थाना कोतवाली गाजियाबाद गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि यह लोहा जिसका वजन लगभग 13 कुंटल है जिसे हम चारो ने मिलकर लोहा मन्डी में खडी गाडियों से चोरी किया है। जिसे हम जुनैद कबाडी जिसकी दुकान जस्सीपुरा गाजियाबाद में है को बेचने जा रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया। पहले भी हमने कई बार लोहा मन्डी से ऐसे ही खडी गाडियों में से लोहा चोरी करके जुनैद कबाडी को बेचा चुके है।

नाम पता अभियुक्तगण

1.आरिफ उर्फ गब्बर पुत्र साबिर निवासी हाल पता बाबर का मकान जस्सीपुरा मार्केट थाना कोतवाली जिला गाजियाबाद स्थाई निवासी ग्राम बझैडा थाना धौलाना जिला हापुड

2.आसिफ पुत्र सरफराज निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

3.फरमान पुत्र बिल्लू निवासी जस्सीपुरा थाना कोतवाली गाजियाबाद

4. रिजवान पुत्र बिल्लू निवासी जस्सीपुरा थाना कोतवाली गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः-

1.05 छोटी चादर लोहे की, 03 बडी चादर लोहे की, 08 पाईप चकौर लोहे के, 03 सरिया लोहे के, 03 गोल पाईप, 04 पट्टी लोहे, 09 चादर लोहे की, 40 गोल पाईप लोहे के, 22 चकौर पाईप लोहे, 83 गोल पाइप लोहे के, 41 चकौर पाइप लोहे के, 03 सरिया लोहे के, 02 एंगल लोहे की (कुल 13 कुन्टल)

2.घटना में प्रयुक्त 03 ई रिक्शा।

आपराधिक इतिहास-

अभि0 रिजवान उपरोक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम का एक अभियोग थाना मसूरी गाजियाबाद में पंजीकृत है। अन्य अभियुक्तो के विरूद्ध कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

गिरफ्तार करने वाले टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा तीन शातिर चोर मय चोरी के रूपयों सहित गिरफ्तार।

दिनांक 09.02.2024 थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर समय करीब 12.20 बजे पी0आर0वी0 2143 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अजनारा मार्केट क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित एक दुकान का गेट खुला हुआ है जिसमे कुछ पैसा एक थैला मे रखा हुआ है। उक्त सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुँच कर फील्ड यूनिट को बुलाया गया एवं कुल 12,90,000/- मिले जिनको थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा सील करके थाना स्थानीय पर दाखिल किया गया था। दिनांक 18.02.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अजनारा मार्केट स्थित दुकान से करीब 22 लाख रुपये एवं कुछ ज्वैलरी चोरी होने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया।घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज एव मुखबिर की सूचना के आधार पर यह साबित हुआ कि अभियोग से संबंधित घटना अभियुक्तों द्वारा दिनांक 07.02.2024 को दिन मे 14.00 बजे कारित की गयी है और दुकान से पैसा बैगो मे निकाल लिया गया था। अभियुक्तगण द्वारा अपनी पहचान छिपाने के लिये घटना करते समय हैल्मेट पहन कर एवं मुँह बांध कर पैसो से भरे 04 बैग निकाले गये थे। अभियोग की गहन विवेचना तथा घटना के अनावरण हेतु सघन प्रयास करते हुये सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस सेल की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया एवं घटना मे संलिप्त 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से 1,97,00,000/- की बरामदगी हुई है। घटना कारित करने वाले मुख्य अभियुक्तगण बंटी व सुनील द्वारा घटना स्थल पर आवागमन हेतु श्री-व्हीलर का प्रयोग किया गया। उक्त दोनों अभियुक्त वांछित है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त बंटी अभियुक्त अतुल पाण्डेय का दामाद है। अतुल पाण्डेय वादी के घर पर कुक/ड्राइवर है जिसने घटना से पूर्व दुकान/ऑफिस की चांबिया चोरी करके अपने दामाद बंटी को उपलब्ध करायी व बंटी द्वारा अपने साथी सुनील के साथ मिलकर अत्यंत चालाकी से दिन के समय योजनाबद्ध ढंग से घटना को अंजाम दिया गया था।

अपराध करने का तरीका -

अभि0गण शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा अपराधिक षडयत्र रचकर दिनांक 07.02.24 को चौकी क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक अजनारा मार्केट में स्थित ऑफिस से रूपयों को चोरी किया गया अभियुक्त अतुल पाण्डेय वादी मुकदमा के घर पर कुक/ड्राइवर का काम करता था जिस कारण उसे वादी की व्यवसायिक गतिविधियो की जानकारी थी इस घटना से पूर्व उसके द्वारा कई बार एक-दो लाख रुपये निकाले गये थे वादी को इस बात की जानकारी न होने पर व मन मे बेईमानी व लालचवश अभियुक्तो द्वारा वादी का पूरा पैसा दुकान से चुरा लेने की योजना बना कर घटना कारित की गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अतुल पाण्डेय पुत्र भोला पाण्डेय निवासी बलभा मौहल्ला गरूल इण्टर कॉलेज के पास थाना उतरौला जिला बलरामपुर, हाल पता नि0 238 एफ ब्लॉक मस्जिद वाली गली संजय नगर थाना मधुवन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 55 वर्ष

2. अरून कुमार पुत्र बनी सिंह नि0 मं0नं0 14 भूड भारत नगर रामपुरी थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष

3. नितिन पुत्र सर्वेश कुमार नि0 ई 226 सूर्य विहार कलोनी हिसाली रोड मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

थाना मोदीनगर कमि0 गाजियाबाद पर अभि0 अतुल पाण्डेय के विरूद्ध हत्या का एक अभियोग पंजीकृत है।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमि0 गाजियाबाद पर अभि0गण के विरूद्ध चोरी का एक मुकदमा पंजीकृत है

बरामदगी का विवरण -

अभि0गण के कब्जे से कुल 1,97,00,000 /- (एक करोड सत्तानवे लाख रूपये) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

पुलिस टीम थाना क्रोसिंग रिपब्लिक कमि0 गाजियाबाद

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने के वाला 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 05.03.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादी गुलशन पुत्र प्रमोद कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त रोहित बैसोया पुत्र कमल बैसोया निवासी ग्राम भोवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष व उसके अन्य साथी एक राय होकर वादी के भाई अंकित पुत्र प्रमोद को जातिसूचक शब्द कहना व गाली गलौज करना, मारपीट करना, जान से मारने की नीयत से अवैध असलाह से फायरिंग कर वादी के भाई अंकित पुत्र प्रमोद को गोली मारकर घायल व लहुलुहान तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में वादी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें आज दिनांक 07.03.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त रोहित बैसोया पुत्र कमल बैसोया निवासी ग्राम भोवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष को डाबर रेड लाइट के पास पार्क से 01 अवैध पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

पुछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया कि मैं अन्य साथी एक राय होकर वादी के भाई अंकित पुत्र प्रमोद को जातिसूचक शब्द कहना व गाली गलौज करना, मारपीट करना, जान से मारने की नीयत से अवैध असलाह से फायरिंग कर वादी के भाई अंकित पुत्र प्रमोद को गोली मारकर घायल व लहुलुहान तथा जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

रोहित बैसोया पुत्र कमल बैसोया निवासी ग्राम भोवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- 01 अवैध पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस।

<u>अभियोग का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौशाम्बी पर मारपीट से सम्बंधित 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, रू0-14.98 लाख रिकवर, कब्जे से 01 लैपटाप, 03 डेस्कटाप कम्प्यूटर, 08 मोबाइल फोन, 04 PO मशीन, 13 विभिन्न फर्म की मोहरें, 19 बैंक चैकबुक, 06 बैंक पासबुक, 06 एटीएम कार्ड, 03 फर्म के बैनर/फ्लैक्स के साथ तथा 06 राज्यों के 17 घटनाओं का खुलासा।

दिनांक 12.01.2024 से दिनांक 09.02.2024 के मध्य श्री पीयूष वर्मा से कुल 4600700/-रूपये विभिन्न खातों में शेयर टेªडिंग के नाम पर ट्रांसफर कराकर ठगी की गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री पीयूष वर्मा द्वारा दिनांक 10.02.2024 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस मुकदमें का अनावरण कर श्री पीयूष वर्मा के कुल रू0-14.98 लाख रूपये रिकवर करते हुए सम्बन्धित अभियुक्तों को फ्राड मे प्रयोग की गयी सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण-

दिनांक 12.01.2024 को वादी श्री पीयूष वर्मा निवासी जे-16 सृजन बिहार न्याय खण्ड-2 इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर ट्रेडिंग से सम्बन्धित वीडियों सर्फिंग करते समय साइबर ठगों द्वारा उन्हं े व्हाट्सएप ग्रुप ''ए एक्स 68 पोर्टफोलियों इन्वेस्टमेंट'' से जोड़ा गया और उस ग्रुप के े े एक लिंक द्वारा श्री पीयूष वर्मा को टेलीग्राम अकाउन्ट- ृ/डमसपे े ं72635 से जोडा। पुनः इस टेलीग्राम अकाउन्ट द्वारा उन्हे 01टप्च् ।ंदहमसवदम बनेजवउमत बंतम व्हाटसएप ग्रुप से जोड़ा, इन ग्रुपों के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग के बारे में टिप्स दिये जाते थे। शेयर टेªडिंग में विभिन्न अधिकृत कम्पनियों के प्लेटफार्म द्वारा विभिन्न शेयरों के आईपीओ एक निश्चित मूल्य में लिये जाते हैं तथा ये आईपीओ ला ॅटरी के माध्यम से आवंटित होते हैं। इन व्हाटसएप ग्रुपों पर साइबर ठगों द्वारा अपने प्लेटफार्म पर शेयर टेªडिंग करने का प्रलोभन यह कहते हुए दिया जाता है कि उनके प्लेटफार्म पर शेयर टेªडिंग करने पर ये लोग विभिन्न कम्पनियों के आईपीओ अपने कस्टमर/यूजर को इच्छित संख्या में आवंटित करा देते हैं। ये साइबर ठग कुछ पेनी (कम मूल्य के) शेयरों के उतार-चढाव सम्बन्धी टिप्स अपने व्हाटसएप ग्रुपों पर देते हैं जो कि सही भी निकलते हैं, इससे पीड़ित को इन साइबर ठगों पर विश्वास हो जाता है। इन साइबर ठगों ने श्री पीयूष वर्मा को अपने कूटरचित शेयर टेªडिंग एप का लिंक व्हाटसएप ग्रुप के माध्यम से भेजा तथा उस कूटरचित एप पर फर्जी शेयर टेªडिंग करायी। ये साइबर ठग अपने टेªडिंग एप पर अकाउन्ट बनवाकर उसमें शेयर टेªडिंग हेतु पीड़ितों से अपने कस्टमर केयर व्हाटसएप ग्रुप बनाकर उस पर विभिन्न फर्जी/डमी बैंक अकाउन्ट के माध्यम से पैसे जमा कराकर अपने शेयर टेªडिंग एप पर उसे शो करते है। पीड़ित जब इन फर्जी शेयर टेªडिंग एप पर शेयर टेªडिंग कर अर्जित पैसे निकालने का प्रयास करते है तो ये साइबर ठग विभिन्न टैक्सों का हवाला देते हुए ओर पैसे जमा करने के लिये कहते हैं ना जमा करने पर पीडित का फर्जी शेयर टेªडिंग एप पर बना अकाउन्ट ब्ला ॅक कर देते है तथा व्हाटसएप ग्रुप से रिमूव कर देते है।

श्री पीयूष वर्मा के साथ शेयर टेªडिंग फ्राड के लिये श्रीश्याम सोफ्टवेयर प्रोवाइडर फर्म गौतमबुद्वनगर के माध्यम से पैसे लिये गये थे। यह खाता राजस्थान के दशरथ सैनी के नाम पर राजस्थान के गणेश के द्वारा इंडसंड बैंक सेक्टर-18 ब्रांच के बैंक अधिकारी सुरजीत से सांठ-गांठ कर खुलवाया गया था। बैंक अधिकारी को खाते खोलने के बदले में प्रति खाता 15-20 हजार रूपये दिये जाते थे। मंगोलपुरी दिल्ली के किशन कुमार उर्फ कृष्ण इस खाते को इन लोगों से खरीदकर आगे राजौरी गार्डन दिल्ली के विक्रम को उपलब्ध कराता था। इन फर्जी खातों को खुलवाने में अभियुक्तगण को मुम्बई निवासी सीए वानी शिवाजी विष्णु इन खातों को खोलने के लिये कागजात तैयार कर

उपलब्ध कराता है। दिनांक 06.03.2024 की सांय अभियुक्त गणेश कुमार धोबी, दशरथ सैनी , किशन कुमार उर्फ कृष्ण को सैक्टर-11 नौएडा से व सुरजीत कुमार को खोडा थाना क्षेत्र से पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से 01 अदद लैपटा◌ॅप व 03 अदद डेस्कटा◌ॅप कम्प्यूटर ,08 अदद मोबाइल फोन, 04 च्व्◌ै मशीन, 13 विभिन्न फर्म की मोहरें, स्टाम्प पैड, 19 बैंक चैकबुक, 06 बैंक पासबुक, 06 एटीएम कार्ड, 02 इन्सट्रक्शन स्लिप, 03 फर्म के बैनर/फ्लैक्स बरामद किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तों द्वारा प्रयोग किये गये बैंक खातों की जांच से यह खुलासा हुआ कि इन अभियुक्तों द्वारा पूरे देश में कुल रू0-48567415/-का फ्राड इनके द्वारा किया गया है। तमिलनाडू राज्य के चेन्नई निवासी कनिकनन के साथ रू0-3550000/- और इरगम राहुल रेडडी के साथ रू0-2120000/-, तेलंगाना राज्य के साइबराबाद निवासी नागास्वजन्या के साथ रू-267715/- और सिंधुरा के साथ रू0-900000/-, हैदराबाद निवासी सुकीर्थी के साथ रू0-1685000/-, महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई निवासी संजय गाडा के साथ रू0-1335000/-, पुणे निवासी शिवानी मिश्रा के साथ रू-1845000/-, लातूर की मेघ अनिल अग्रवाल के साथ रू0-20000000/-, नागपुर निवासी प्रियांश के साथ रू0-215000/-, मुम्बई विरार के सिद्वार्थ ब्रिजेश राय के साथ रू0-281100/-, कर्नाटका राज्य के बं◌ेगलुरू निवासी मधुसूदन राव वी के साथ रू0-5600000/-, रजत अग्रवाल के साथ रू0-30000/-, रोहित मैया के साथ रू0-1423600/-, हरियाणा राज्य के गुरूग्राम निवासी सुनील के साथ रू0-1320000/-, छत्तीसगढ राज्य के बलोदाबजार निवासी आजूराम बंजारे के साथ रू0-165000/-, केरल राज्य के एर्नाकुलम निवासी किरण सथ्यम के साथ रू0-4800000/-, विनोद ई के साथ रू0-3030000/- के साथ इन अभियुक्तों के द्वारा शेयर टे◌्रडिंग फ्राड किया गया है। सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.गणेश कुमार धोबी पुत्र जोरावर सिंह (उम्र करीब-26 वर्ष, शिक्षा-12वी पास) निवासी गांव देवडावास थाना घाड जिला टोक, राजस्थान।

2.दशरथ सैनी पुत्र गोपाललाल माली (उम्र करीब-28 वर्ष, शिक्षा-8वी पास) निवासी सूरजपोलगेटबार, केकडी थाना केकडी, राजस्थान।

3.किशन कुमार उर्फ कृष्ण पुत्र बंगाली बाबू (उम्र करीब-52 वर्ष, शिक्षा-9वी पास) निवासी ई ब्ला◌ॅक म0नं0-1 मंगोल पुरी थाना मंगोलपुरी, दिल्ली।

4.सुरजीत पुत्र राजाराम पाल (उम्र करीब-28 वर्ष, शिक्षा-बीएससी) निवासी नगल बलू थाना जसरथपुर जिला एटा उ0प्र0।

अनावरित अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0-19/2024 धारा-420,467,34 भादंवि व 66डी आईटीएक्ट थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद एवं 06 राज्यों की 17 घटनाएं।

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास- अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण- रूपये 14.98 लाख, 01 अदद लैपटाप व 03 अदद डेस्कटाप कम्प्यूटर , 08 अदद मोबाइल फोन, 04 POS मशीन, 13 विभिन्न फर्म की मोहरें, स्टाम्प पैड, 19 बैंक चैकबुक, 06 बैंक पासबुक, 06 एटीएम कार्ड, 02 इन्सट्रक्शन स्लिप, 03 फर्म के बैनर/फ्लैक्स।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

साइबर ठगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कूटरचित शेयर टे्डिंग एप व व्हाटसएप ग्रुप सम्बन्धित स्क्रीन शाट

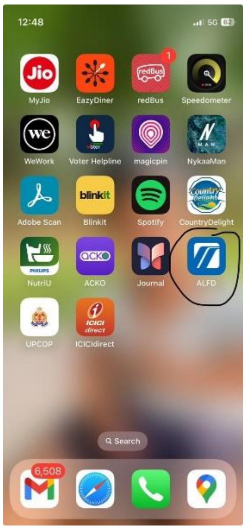

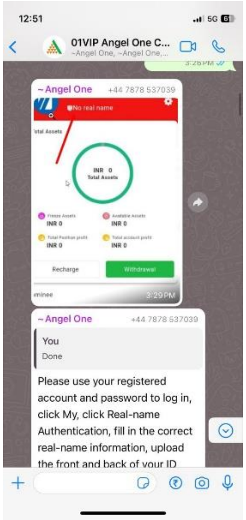

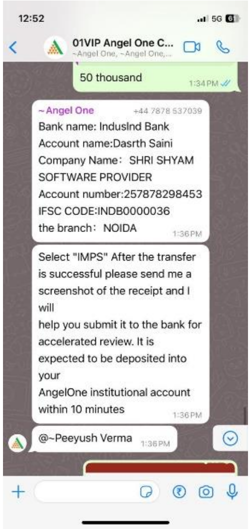

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा लोन दिलाने के नाम पर 21,65,516/- ठगने वाले शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 06-03-2024 को वादी प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री घनश्याम दत्त शर्मा निवासी टी-4-104, गुलमोहर गार्डन राजनगर एक्स. गाजियाबाद ने सूचना दी कि वर्ष 2022 में मैनें एक प्रोपर्टी लोन पर ली थी, अभियुक्त द्वारा कम ब्याज दर पर लोन दिलाने के नाम पर कुटरचित दस्तावेज तैयार करके मेरे साथ जालसाजी व धोखाधडी कर 21,65,516/- रू ठग लिये ना ही मेरा लोन पास हुआ और ना ही मुझे पैसे वापस किये। उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आस पास पर लगे सीसीटीवी कैमरो व सर्विलांस, व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 07-03-23 को मुखबिर की सूचना पर के समय करीब 12.10 बजे वरदान अस्पताल राजनगर एक्स0 से 01 नफर अभि0 को गिरफ्तार किया गया, अभि0 के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>-- अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं लोन कराने का कार्य करता हूं तथा उसी में मौका देखकर अपने ग्राहको के कागजात का प्रयोग कर उनके हुये लोन से धन ले लेता हूँ तथा इसी क्रम में धनंजय केमिस्ट कम्पनी के मालिक प्रमोद कुमार शर्मा मुझे मिले जिन्हें विश्वास में लेकर मेरे द्वारा उनके कागजात का प्रयोग कर एक लोन urgo केपिटल प्राइवेट लिमिटेड से 2.5 करोड का कराया था जिसमें थोड़ा इन्स्ट्रस्ट रेट ज्यादा होने के कारण मुझे लगा कि प्रमोद शर्मा का विश्वास मुझ पर से उठ जायेगा तो मैने इसी बरामद लेपटोप से एक कूटरचित वेलकम लैटर urgo केपिटल प्राइवेट लिमिटेड का बनाया जिसमें मेरे द्वारा इन्सट्रस्ट रेट 9.5 प्रतिशत दर्शाया गया , और कमिशन के नाम पर मैने उनसे करीब 21,65,516/- रुपये ठग लिये।

<u>अभि0 का नाम व पता</u>--

सुजीत कुमार पुत्र श्री रामवीर सिंह निवासी – न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी सैक्टर 23 संजय नगर (कामना प्रोपर्टी के पास छोटे लाल की III फ्लोर पर) मूल निवासी- गांव नगला महासी सिकन्द्राराव जिला अलीगढ उम्र-40 वर्ष

<u>अभि0 का आपराधिक इतिहास</u>--

अभि0 सुजीत उपरोक्त के विरुद्ध थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद पर एक अभियोग धोखाधडी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में तथा थाना बाघवाला जिला एटा में एक अभियोग धोखाधडी, फर्जी दस्तावेज पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण--

1. एक लेपटाप DELL कप्पनी।

2. एक बैग जिसमें कुछ भरे हुए व खाली चैक, 6 बैंको के क्रेडिट कार्ड, और लोन संबंधी फर्जी दस्तावेज।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।